डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

यह भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

विस्तार. 2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारम्भ. 3. यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

प्रस्तावना में संशोधन. 4. छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की प्रस्तावना में शब्द "मध्यप्रदेश राज्य में" को विलोपित किया जायेगा तथा "तथा वास गृहों" के पश्चात् "छत्तीसगढ़ राज्य में हॉल, लॉन तथा गार्डन" शब्दों को जोड़ा जायेगा.

धारा-2 में संशोधन 5. धारा-2 में :

(1) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा:

(क) व्यापार के अंतर्गत है, किसी होटल मालिक द्वारा धन संबंधित प्रतिफल के लिये वास सुविधा, जगह या आनुषंगिक या सहायक कोई अन्य सेवा, उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप परन्तु इसमें किसी धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शैक्षणिक संस्था द्वारा उनके घोषित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध कराये गये, क्रियाकलाप सम्मिलित नहीं होंगे.

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में शब्दों "किसी होटल" के पश्चात् शब्द "और हॉल, लॉन या गार्डन" जोड़े जायेंगे.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे :

"(ग) होटल के अंतर्गत है, कोई वास स्थान या जगह, वास गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग, हॉल, लॉन या गार्डन जहां कारोबार के अनुक्रम में वास सुविधा अथवा जगह अथवा अन्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है."

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा:

"(ङ) होटल में उपलब्ध करायी जाने वाली विलास वस्तु से अभिप्राय, वहां उपलब्ध कराई जाने वाली वास

सुविधा या जगह और अन्य सेवायें, जैसी स्थिति हो, जिनके लिये प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सभी प्रकार के संगीत यंत्र, जिसे जो भी नाम से जाना जाता हो, मनोरंजन, प्रकाश, अतिरिक्त विस्तार और उसी प्रकार के वस्तुओं के लिये प्रभारों को सम्मिलित करते हुये, होटल के मामले में प्रतिदिन एक सौ पचास रुपये या उससे अधिक है और हॉल, लॉन या गार्डन के मामले में प्रतिदिन तीन हजार रुपये या उससे अधिक है, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिये, पृथक् से प्रभार लिया जाता है."

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा :

(ञ) "वाणिज्यिक कर अधिनियम" से आशय "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" है.

(6) उपधारा (2) में शब्द "विक्रयकर अधिनियम" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

6. धारा-4 में : **धारा-4 में अंतः स्थापन.**

(1) उपधारा (1) को, उपधारा (1) का खण्ड (एक) पुनः संख्यांक किया जायेगा.

(2) उपधारा (1) का ख़ण्ड (क) विलोपित किया जाएगा.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किये जाएंगे :

"(क) एक सौ पचास रुपये या अधिक किन्तु रुपये तीन सौ रुपये से अधिक नहीं है.	टर्न ओवर का 5 प्रतिशत
(ख) रुपये तीन सौ से अधिक है.	टर्न ओवर का 10 प्रतिशत

(4) उसके पश्चात् निम्नानुसार खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा :

(दो) जहां किसी हॉल, लॉन या गार्डन में उपलब्ध कराई गई जगह या अन्य सेवा के लिये प्रतिदिन प्रभार :

(क) तीन हजार रुपये से कम है	कुछ नहीं
(ख) तीन हजार रुपये या उससे अधिक किन्तु दस हजार रुपये से अधिक नहीं है.	कुल राशि का पांच प्रतिशत.
(ग) दस हजार रुपये से अधिक है	कुल राशि का दस प्रतिशत.

(5) उपधारा (4) में शब्द "मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959)" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

7. धारा-6 में : **धारा-6 में संशोधन.**

(एक) शब्द "विक्रयकर अधिनियम" के स्थान पर, "वाणिज्यिक कर अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(दो) शब्द ''धारा-3 . . . . .51'' के स्थान पर शब्द

''धारा-3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं 80'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

धारा-7 में संशोधन. 8. धारा-7 में शब्द ''विक्रयकर अधिनियम'' के स्थान पर ''वाणिज्यिक कर अधिनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा.''

धारा-8 में संशोधन. 9. धारा-8 में :

(1) धारा-8 की उपधारा (1) में शब्द ''विक्रयकर अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(2) धारा-8 की उपधारा (3) में शब्द ''विक्रयकर अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर अधिकारी'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(3) धारा-8 की उपधारा (5) में शब्द ''विक्रयकर अधिनियम की धारा-15'' के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा-22'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्तमान में प्रत्येक बड़े शहर में विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए होटलों, लॉज अथवा मैरिज गार्डन एवं लॉन का उपयोग बढ़ता जा रहा है. इसका किराया लगभग रुपये 10,000/- से रुपये 1,00,000/- या अधिक प्रतिदिन तक लिया जाता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत केवल होटल में प्रदाय की गई सुविधाओं को ही विलासिता कर के अंतर्गत रखा गया है.

2. शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, मैरिज हॉल, लॉन एवं मैरिज गार्डन के मालिकों द्वारा विवाह एवं अन्य समारोह के लिए किराये के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि एवं प्रतिफल में प्रदाय की जाने वाली विलास वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हें भी विलासिता कर की परिधि में लाया जाय, ताकि प्रदेश को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके.

3. शासन के उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

4. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं उपरोक्तानुसार संशोधन करना आवश्यक था, अतएव महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था, जो अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित करने हेतु लाया जा रहा है.

5. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 24 जुलाई, 2001

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988

धारा 2 की उप-धारा (1) का खण्ड (क)—

(क) "कारबार" के अंतर्गत है किसी होटल मालिक द्वारा धनीय प्रतिफल के लिये वास सुविधा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप और वास-सुविधा उपलब्ध कराने के ऐसे क्रियाकलापों से संबद्ध, आनुषंगिक या सहायक कोई, अन्य सेवा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप.

धारा 2 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख)—

(ख) किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली विलास वस्तु के संबंध में "रियायती दर" से अभिप्रेत है ऐसी विलास वस्तु के लिये होटल मालिक द्वारा नियत प्रसामान्य दर से निम्न दर या किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियत दर से निम्न दर.

धारा 2 की उप-धारा (1) का खण्ड (ग)—

(ग) "होटल के अन्तर्गत है" कोई वास स्थान, वास गृह, सराय, सार्वजनिक गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग जहां कारबार के अनुक्रम में वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

धारा 2 की उप-धारा (1) का खण्ड (ङ)—

(ङ) ''होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली विलास वस्तु'' से अभिप्रेत है किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास सुविधा और अन्य सेवाएं जिनके लिये प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त बिस्तर और उसी प्रकार की वस्तुओं के लिये प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन साठ रुपये या उससे अधिक है, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक् से प्रभार लिया जाता है.

धारा 2 की उप-धारा (1) का खण्ड (ञ)—

(ञ) ''विक्रय कर अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959).

धारा 2 की उप-धारा (2)—

(2) उन सभी अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है और जो विक्रय कर अधिनियम में परिभाषित है, वे ही अर्थ, होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

धारा 4 की उप-धारा (1)—

4 (1) किसी होटल मालिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया जाएगा अर्थात् :—

जहां किसी होटल में उपलब्ध कराई गई विलास वस्तु के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रभार,—

(क) साठ रुपये से कम है	-	कुछ नहीं.
(ख) साठ रुपये या उससे अधिक किन्तु एक सौ पचास रुपये से अधिक नहीं है.	-	कुल राशि की तीन प्रतिशत.
(ग) एक सौ पचास रुपये से अधिक	-	कुल राशि का पांच प्रतिशत.

परंतु जहां प्रभार दैनिक आधार पर या प्रति व्यक्ति के हिसाब से उद्गृहीत न किये जाकर अन्यथा उद्गृहीत किये जाते हैं, वहां इस धारा के अधीन कर के दायित्व का अवधारण करने के लिए, प्रभारों की संगणना वास-स्थान के अधिभोग की उस कुल कालावधि के, जिसके लिए प्रभार लिए जाते हैं, और होटल के नियमों या परिपाटी के अनुसार वस्तुत: अधिभोग रखने वाले या अधिभोग रखने के लिये अनुज्ञात व्यक्तियों की कुल संख्या के आधार पर, एक दिन और एक व्यक्ति के लिए अनुपातत: की जाएगी.''

धारा 4 की उप-धारा (4)—

(4) जहां किसी होटल में किसी विनिर्दिष्ट संख्या को उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक व्यक्तियों द्वारा हिस्सा बटाया जाता है, वहां जब तक कि अतिरिक्त व्यक्ति कोई, ऐसा बालक नहीं है, जो अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ कमरे में रह रहा है, और बालक के लिए कोई पृथक् प्रभार वसूल नहीं किया जाता है, विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई विलास वस्तु के लिये उद्ग्रहित कर के अतिरिक्त, उन प्रभारों की बाबत, जो समायोजित किए गए अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए किए गए हैं पृथक् रूप से कर उद्ग्रहित और वसूल किया जाएगा.

धारा-6—

(6) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विक्रय कर अधिनियम की धारा 3, 17, 18, 19, 19-क, 20, 21, 22, 22-ए, 23, 24, 24-ए, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 33-बी, 33-सी, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-ए, 40, 41, 42, 42-ए, 43, 44, 45, 45-ए, 45-बी, 46, 47, 47-क, 48 तथा 51 और उनके अधीन जारी किए गए नियम, आदेश और अधिसूचनाएं किसी होटल मालिक को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय और देय कर की बात बाबत यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी मानो वे धाराएं इस अधिनियम में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी मानो वे धाराएं इस अधिनियम में यथावश्यक परिवर्तनों सहित समाविष्ट कर दी गई है और उन धाराओं के अधीन जारी किए गए नियम, आदेश और अधिसूचनाएं इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई सुसंगत धाराओं के अधीन यथावश्यक परिवर्तनों सहित जारी की गई है.

धारा-7—

(7) इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का क्रियान्वयन, जहां तक कि वह होटल मालिकों पर कर के उद्ग्रहण निर्धारण और उनसे कर के संग्रहण से संबंधित है, विक्रय कर अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा और तद्नुसार वे प्राधिकारी, जो विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने और उसके संदाय को प्रवर्तित कराने के लिए तत्समय सशक्त है, इस अधिनियम के अधीन होटल मालिक द्वारा देय कर का, जिसके अंतर्गत कोई शास्ति या अन्य रकम भी है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित करायेंगे मानो ऐसे होटल मालिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन या विक्रय कर अधिनियम के उन उपबंधों के, जो धारा 6 के अधीन होटल मालिकों को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित कर के संबंध में लागू किए गए हैं, अधीन देय कर या शास्ति या कोई अन्य रकम उस अधिनियम के अधीन देय कर शास्ति या कोई अन्य रकम है और इस प्रयोजन के लिए वे उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.